न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 186 / 2021

अनवान : –

1. अनवरी बानो पत्नी निजाम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– प्रार्थीया

बनाम्

1. निजाम खां पुत्र शकरू खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. शरीफन पुत्री शकरूखां पत्नी मोहमद अली खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3. तज बानो पुत्री शकरू खां पत्नी अकबर अली खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता, **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 03/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 132 / 128 की कुल 5.6163 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 180 / 180 की कुल 10.3350 हैक्ट भूमि में से 1 / 16 हिस्सा भूमि सुगनी पत्नी शकरू खां के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुगनी पत्नी शकरू खां के नाम दर्ज है जो की सायला की सास है। सुगनी पत्नी शकरू खां ने सायला की सेवा चाकरी से खुश होकर अपनी उक्त भूमि का सायल के पक्ष मे दानपत्र कर दिया था। सुगनी पत्नी शकरू खां का दिनांक 20.02.1982 को देहान्त हो गया। सायला मुताबिक दानपत्र खातेदार काश्तकार है लेकिन गैरसायल स0 1 ता 3 उक्त भूमि को अपने नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवाकर रहन, बैय करना चाहते है अगर गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसालयान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त भूमि के मौके [illegible] यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने प्रार्थीया के प्रार्थना को स्वीकार कर सहमति प्रकट की। अप्रार्थी स0 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सुगनी पत्नी शकरू खां

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)
Rahul

सायल के पास कभी नही रही सुगनी तो गैरसायल स0 3 के पास राजगढ़ के मे रहती थी वही पर सुगनी की मृत्यु हुई। सुगनी की मृत्यु 09.04.1980 मे हुई थी जबकि सायला सन 1982 मे बता रही है सुगनी के जायज वारिसान गैरसायल स0 1 ता 3 है सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थ पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि का सुगनी द्वारा सायला के पक्ष में दानपत्र किया गया है एवं सुगनी का दिनांक 20.02.1982 को देहान्त हो चुका है, लेकिन प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज रिलिज डिड/गिफ्ट डिड पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि का सायला के पक्ष मे सुगनी द्वारा रिलिज डिड/गिफ्ट डिड किया गया हो एवं पत्रावली मे प्रस्तत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार सुगनी का दिनांक 09.04.1980 को देहान्त हुआ है अर्थात प्रार्थीया ने क्लीन हैण्ड प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/10/25 पर सुनाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर